गुजरात शहरी विकास परियोजना

1136. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के महत्वपूर्ण कस्बों के विकास हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए "गुजरात शहरी विकास परियोजना" तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के गंदी बस्तियों वाले कस्बों में सुविधाओं के विकास एवं सुधार के लिए ओ०डी०ए० ब्रिटेन, से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु कोई अन्य परियोजना भी तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में शहरी विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री आर० के० धवन): (क) और (ख) विश्व बैंक सहायता प्राप्त गुजरात शहरी विकास परियोजना—I गुजरात में चल रही थी। परियोजना मार्च, 1995 में बन्द हो गयी।

गुजरात सरकार ने विश्व बैंक सहायता हेतु 794 करोड़ रु० की अनुमानित लागत की भावी गुजरात शहरी विकास परियोजना—Ii नामक दूसरा प्रस्ताव जनवरी, 1994 में भारत सरकार को भेजा। परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:—

1. शहरी जल आपूर्ति दूषित जल निकासी और बरसाती पानी के निकास में गम्भीर न्यूनताओं को कम करना।

2. जल आपूर्ति सीवरेज और स्वच्छता के तहत शामिल किये जाने वाले क्षेत्र के दायरे को बढ़ाना।

3. पूरी 100% स्लम आबादी को जल आपूर्ति, सीवरेज और स्वच्छता तथा सस्ती सफाई दायरे में लाना।

4. अधिक से अधिक शहरी गरीबों को उपर्युक्त कथित सेवाओं के दायरे में लाना।

5. स्वास्थ्य खतरे कम करना, समग्र लोक स्वास्थ्य में सुधार करना तथा नागरिकों को सुख पहुंचाना।

6. लाभार्थियों से पूरी लागत वसूली आरम्भ करना,

7. स्थानीय निकायों/शासन के दायरे में इंजीनियरी कार्यों बावत प्रशासन नियोजन, वित्त प्रबंध समग्र कार्य कुशलता मजबूत करना।

भारत सरकार द्वारा परियोजना की जांच की गयी और आवश्यक कार्रवाई हेतु कुछ टिप्पणियां गुजरात सरकार को भेजी गयीं। इस बीच, विश्व बैंक ने सूचना दी कि वे बैंक स्तर पर ऋण देने की पूर्व प्रक्रिया को बदल कर प्रोजेक्ट को उधार देने की बजाए वित्तीय बिचौलियों की मार्फत कर्ज देने पर पुनः विचार कर रहे हैं। बिचौलिया बाबत दृष्टिकोण पर विश्व बैंक ने अपना अंतिम निर्णय सूचित नहीं किया है। विश्व बैंक के निर्णय के आधार पर गुजरात सहित सभी राज्यों को विश्व बैंक मदद वाली परियोजना तैयार करके वित्तीय बिचौलियों को दिखाने का नया रास्ता अपनाना होगा।

(ग) और (घ) 50,000 परिवारों वाले 336 स्लमों के उन्नयन हेतु "बड़ौदा-2000" नामक एक परियोजना प्रस्ताव गुजरात सरकार द्वारा तैयार किया गया और वह नवम्बर, 1992 में भारत सरकार को भेजा गया। प्रस्ताव इंगलैंड (यू०के०) के ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्टरेशन (ओ०डी०ए०) को (विचारार्थ) भेजा गया था, (ओ०डी०ए०) के पर्यवेक्षक दल ने जुलाई, 1994 में प्रस्तावित परियोजना स्थल का दौरा किया। तब एक प्रायोगिक स्लम सुधार परियोजना तैयार की गयी और ओ०डी०ए० के विचारार्थ रखी गयी है। इस बारे में ओ०डी०ए० को अभी निर्णय लेना है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए "हुडको" से धनराशियां आबंटित करने हेतु मध्य प्रदेश का प्रस्ताव

1137. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को ऐसा प्रस्ताव प्रेषित किया है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि चालू वर्ष के दौरान राज्य के शहरी, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए "हुडको" से धन आवंटित किया जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० अहलुवालिया): (क) से (घ) राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा तैयार आवास स्कीमें मूल्यांकन और स्वीकृति हेतु सीधे ही हुडको में प्राप्त होती हैं।

1995-96 के दौरान (31.10.95 तक) हुडको ने मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निनलिखित दो स्कीमें स्वीकृत की हैं:—

	जिले का नाम	ऋण राशि (रुपये लाखों में)
1.	जबलपुर	27.00
2.	जबलपुर	16.50
	योग:	43.50

इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निम्नलिखित चार स्कीमों पर हुडको विचार कर रहा है:—

	जिला	ऋण राशि (लाख रुपये में)
1.	शिवपुर	39.00 (शहरी)
2.	भोपाल	03.60 (शहरी)
3.	शाजापुर	16.05 (शहरी)
4.	रायगढ़	16.24 (ग्रामीण)
	योग:	74.89

इन स्कीमों की स्वीकृति ऋण लेने वाली एजेंसियों द्वारा हुडको दिशा-निर्देशों के तहत यथा अपेक्षित विभिन्न औपचारिकताएं पूरा करने पर निर्भर होगी।

Expansion Programme for Atomic Power Plants

1138. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government and the Nuclear Power Corporation Programme to have expansion programme of Atomic Power Plants;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to have assistance from foreign countries for the expansion programmes of Atomic Power Plants; and

(d) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI):

(a) and (b) The Nuclear Power Profile drawn up by the Department of Atomic Energy envisages setting up a number of nuclear power plants of 220 MWe and 500 MWe capacity for enhancing the installed nuclear power capacity. However, actual implementation of these projects is being done depending upon the availability of resources.

(c) and (d) Yes, Sir. Feasibility of setting up 2x1000 MWe nuclear power station at Kudankulam with Russian assistance is being explored.

Intensive Survey of Rail Track in Andhra Pradesh

1139. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to conduct an intensive survey of rail track in Andhra Pradesh to identify weak and vulnerable spots;

(b) if so, by when this programme would be undertaken;

(c) whether any effort has been made in this direction in 1995-96 in Andhra Pradesh; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE